न्यायालय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर कैंप, उज्जैन

प्रकरण क्रं. 2014/नि. R·757–I/14

दाउदयाल राठी पिता रामचंद्रजी राठी,
आयु–65 वर्ष, धंधा– वकालात, निवासी–
46, बुद्व मार्ग खाचरौद ....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती किशोरकुंवर पति राजेन्द्रसिंहजी,
निवासी–ग्राम अर्जला तहसील खाचरौद
जिला उज्जैन

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक
खाचरौद ....अनावेदकगण

31-1-2014

398
31/1/2014

<u>निगरानी अंतर्गत धारा–47 (क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण क्रं. 17/बी–103/2012–13 एवं धारा 33–40 आदेश प्रदानकर्ता स्टाम्प कलेक्टर एवं जिला पंजीयक उज्जैन के आदेश दिनांक 27/08/2013 से असंतुष्ट होकर</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की और से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य

यह कि, आवेदक ने ग्राम अर्जला तहसील खाचरौद जिला उज्जैन की भूमि सर्वे क्रं. 117 रकबा 4.28 हेक्टर का विक्रय पत्र अनावेदक क्रं. 1 से अपने हक में करवाया गया था उक्त भूमि असिंचित होकर एक फसली है तथा रोड से काफी अंदर की तरफ है जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में दर्शाया है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक को खाचरौद में स्टाम्प उपलब्ध नहीं होने से कम स्टाम्प चुकाये जाकर विक्रय पत्र संपादित किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्रं. 2 ने उक्त विक्रय पत्र में दर्शायी भूमि को सिंचित मानकर बाजारू विक्रय मूल्य 22,26,000/– रूपये मानकर जिस पर 2,21,463/–रूपये मुंद्राक शुल्क जमा करने हेतु संदर्भित किया गया एवं प्रकरण जिला पंजीयक एवं स्टाम्प कलेक्टर महोदय उज्जैन के समक्ष

निरंतर...2

R-757/I/14

4-9-15

आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार पुकार। लेकिन कोई नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष